A

FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

नरेन्द्र कुमार **बनाम** राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर

अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए, प्रकरण संख्या 16 सन् 2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025/२५९

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.06.2025	प्रार्थी नरेन्द्र कुमार पुत्र भगवान दास जाति अरोडा निवासी 32 एफ अरायण तहसील श्रीकरणपुर के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना बाबत गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने, के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 611 दिनांक 11.06.2025 से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 251ए में दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम 30 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 33/34 के मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 6/3 में 30 गुणा 78 वर्गफीट भूमि को गैरमुमकिन रास्ता के रूप में स्वीकृत किए जाने के आदेश दिए जावे। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के मुताबिक चक 30 एफ के मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 6/3 का 0.207 हैक्टेयर नहरी रकबा प्रार्थी नरेन्द्र कुमार पुत्र भगवान दास के नाम खातेदारी दर्ज है। मौके पर किला नम्बर 6/3 गै.मु.सडक से चिपता है। किन्तु प्रार्थी के द्वारा भूमि रूपान्तरण हेतु किला नम्बर 6/3, 7/2, 8/1 में से कुल 0.880 हैक्टेयर भूमि रूपान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। मौके पर प्रस्तावित भूमि पर पंहुच हेतु 30 गुणा 78 वर्गफीट रास्ता चालु है। किन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। भूमि की किस्म नहरी है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 30 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 33/34 के मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 6/3 की उतरी बट के साथ-साथ में 30 गुणा 78 वर्गफीट भूमि (0.02 हैक्टेयर) को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

दूरभाष न0:– 01501226005 ईमेल–sdo.srikaranpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- रीडर/2025/373 **दिनांक :-13.06.2025**

तहसीलदार (राजस्व),
श्रीकरणपुर।

विषयः-प्रकरण संख्या 16 /2025 अनवान नरेन्द्र कुमार बनाम राजस्थान सरकार अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए में पारित **निर्णय दिनांक 13.06.2025 के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 13.06.2025 के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955, भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 30 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 33/34 के मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 6/3 की उतरी बट के साथ-साथ में 30X78 वर्गफीट भूमि (0.02 हैक्टेयर भूमि) को गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)
सत्यमेव जयते